राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–227132

संख्या–ई स 1689 /जी एस
दिनांक 26/9 /2006

प्रेषक

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक २०४४(१)/सम्बद्धता/०६ दिनांक ३०–०६–२००६ एवं पत्रांक: २५७२/ सम्बद्धता/०६ दिनांक ०६–०९–२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ की धारा–३७ (२) के अधीन श्री बल्देव श्रीधर विधि महाविद्यालय,भवरहों, पाण्डेयपुर, राधे, गाजीपुर को स्नातक स्तर पर विधि सकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० (त्रि वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनाक ०१–०७–२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

१– महाविद्यालय द्वारा बार कौंसिल आफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेगे।

२– सस्था उच्च शिक्षा विभाग व्दारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१/सत्तर–२–२००३–१६(६२)/२००२, दिनाक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

३– यदि सस्था व्दारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एव विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– सचिव, बार कौंसिल आफ इण्डिया, २१, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–२
४– प्रबन्धक/प्राचार्य, श्री बल्देव श्रीधर विधि महाविद्यालय,भवरहों, पाण्डेयपुर, राधे, गाजीपुर।

विजय कुमार सिंह
(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव